(97)

IV/निग०/रीवा/भू०रा०/2017/3400 (204)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

[Court fee stamps: 20 रु. COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES बीस रुपये; 5 रु. INDIA FIVE RUPEES पाँच रुपये; FIVE RUPEES पाँच रुपये — विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित] Rs.30/-

1. सूर्यभान कुशवाहा,
2. इन्द्रभान कुशवाहा,
3. चन्द्रभान कुशवाहा,
4. राजभान कुशवाहा,

सभी निगरानी के पिता श्री बद्री प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम बदरांव तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

---------- निगरानी कर्तागण

बनाम

रमेश कुशवाहा पिता स्व0 श्री राममनोहर काछी निवासी बदरांव तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

-------- गैरनिगरानी कर्ता

आवे० क्र० 3 चन्द्रभान कुशवाहा द्वारा पेश/ 20.9.17

कलार्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 19.9.14 प्र0 क्र0 1498/2/2013-14 न्यायालय राजस्व निरीक्षक सर्किट गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी कर्ता गण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि भूमि खसरा नं0 576/1/2 के भूमिस्वामी रमेश कुशवाहा द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी चिरहुला के द्वारा आवेदित आराजी का सीमांकन दिनांक 8.6.14 को किया गया जो कि पूर्णतः गलत है, इस कारण से सीमांकन पुष्टि आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

3- यह कि खसरा नं0 576 का नक्सा तरमीम आज दिनांक तक नही हुआ तो इस तरह कानून का सर्वमान्य नियम है कि बिना नक्सा तरमीम की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने किसी भी आराजी का सीमांकन नही किया जा सकता और किया भी जाता है तो आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

4- यह कि ख0 क्र0 576 के मूलस्वामी गैरनिगरानीकार के पिता राममनोहर कुशवाहा

राजभान कुशवाहा सूर्यभान चन्द्रभान इन्द्रभान कुशवाहा

(97)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3400 जिला–रीवा

सूर्यभान कुशवाहा / रमेश कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सर्किल गिर्द, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 149 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	